

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांक-136/08सा0प्र0-प्रकीर्ण/19

दिनांक-15/02/2019

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-2504/लो0नि0-1/03-7(सा0)/2000 दिनांक-25.11.2003 के क्रम में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-236/08सा0प्र0-प्रकीर्ण/18 दिनांक-05.03.2018 द्वारा ठेकेदारों के श्रेणी बी में पंजीकरण किये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को प्राधिकृत किया गया है। जो कि पूर्व की भांति सम्बन्धित पूर्ण कमिश्नरी में मान्य है। इस कारण क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अपने जोन के अन्तर्गत श्रेणी "A" में पंजीकरण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

उक्त परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी "A" श्रेणी "B" श्रेणी "C" एवं श्रेणी "D" में पंजीकरण किये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

| क0सं0 | पंजीकरण | पंजीकरण किये जाने हेतु अधिकृत कार्यालय |
|-------|------------|---|
| 1. | श्रेणी "A" | प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। |
| 2. | श्रेणी "B" | समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। |
| 3. | श्रेणी "C" | समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। |
| 4. | श्रेणी "D" | समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। |

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

ह0/-
(आर0सी0पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0/पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0 नि0वि0 अल्मोडा/पौडी/हल्द्वानी/देहरादून/पिथौरागढ़/टिहरी।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-1/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता.....वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,.....।
6. अधिशासी अभियन्ता,(आई0टी0)विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

upload ni
2016

15.02.19

(देवेन्द्र शाह)

अधिशासी अभियन्ता

08 Sa pra

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
6/2/19